		कार्यवाही विवरण
28/5/25		पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी अ./अनावेदकगण बावजूद तामील अनु: न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील
	आदेश	आवेदक के निवेदन पर बहस सुनी गई। पूर्वक दृष्टता मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप उपा: धा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 2/6/23 का जारी अंतरिम स्थगन आदेश का संपुष्टि किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर धारा नम्बर से कम है। तथा बाद तकमील डायरी दाखिल दफ्तर हो।

ए.सी.ई.एम. (पश्चि.)
मथुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:52:03 IST
Reason: SelfAttested